UPJB120069112016

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी – रश्मि सिंह–II – (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J.O. Code–UP4602

मुकदमा संख्या – 408/2003

मुकदमा अपराध संख्या– 275/2003

धारा– 382, 411 भा०दं०सं०

थाना – हसनपुर, जिला – अमरोहा।

सरकारः

राज्य सरकार,

द्वारा पुलिस थाना–हसनपुर, जिला अमरोहा।

..... **अभियोजन।**

बनाम

1. **मौहब्बत अली पुत्र मेहर अली**
   निवासी ग्राम मोहर का पट्टी, थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा।
2. **मुजम्मिल पुत्र फिरासत (मृतक दौरान वाद)**
3. **महताब अली पुत्र फिरासत**
4. **अफजाल पुत्र फिरासत**
   निवासीगण पिपलौती खुर्द, थाना हसनपुर, जनपद अमरोहा।

..... **(अभियुक्तगण)**

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष के लिएः– श्री सतेन्द्र पाल सिंह।

प्रकरण से संबंधित विवरण संक्षेप में

वाद मेमो–

सूचनाकर्ता	नन्हे (वादी मुकदमा)
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
घटना दिनांक	**01.04.2003 समय 11:00/12:00 बजे रात्रि**
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक	01.04.2003
आरोप पत्र प्रेषण दिनांक	11.07.2003
संज्ञान लिये जाने का दिनांक	26.07.2003
आरोप विरचित करने का दिनांक	01.08.2018
साक्ष्य अभिलेखन करने का दिनांक	13.06.2024
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनांक	18.05.2026

निर्णय घोषित दिनांक	18.05.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनांक	18.05.2026– **मौहब्बत अली, अफजाल एवं महताब अली** – **दोषमुक्त** (अंतर्गत धारा– 382, 411 भारतीय दण्ड संहिता)
समयावधि	लगभग 23 वर्ष

अभियुक्तगण के संबंध में संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	नाम अभियुक्तगण	व्यवसाय/पद	आरोपित अपराध
1.	मौहब्बत अली	कृषि	धारा – 382, 411 भा०दं०सं०
2.	अफजाल	कृषि	धारा – 382, 411 भा०दं०सं०
3.	महताब अली	कृषि	धारा – 382, 411 भा०दं०सं०
4.	मुजम्मिल	कृषि	धारा – 382, 411 भा०दं०सं०

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्ष्य दिनांक	साक्षी का प्रकार चक्षुदर्शी/अनुश्रुत/पीड़ित	प्रपत्र	प्रदर्श संख्या
पी०डब्ल्यू०–1	सत्तार	13.06.2024	गवाह	–	–
पी०डब्ल्यू०–2	छुट्टन	04.04.2025	गवाह	–	–

बचाव पक्ष साक्ष्य

अभियुक्तगण द्वारा बचाव साक्ष्य देने से इंकार किया गया

बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक	07.05.2026

निर्णय

1– अभियुक्तगण मौहब्बत अली, मुजम्मिल, अफजाल एवं महताब अली का विचारण संबंधित थाना हसनपुर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 275/2003 अंतर्गत धारा 382, 411 भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध के लिए पुलिस थाना हसनपुर, जिला अमरोहा द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी मैं नन्हे पुत्र ओसाफ अली ग्राम पिपलौती थाना हसनपुर का रहने वाला हूँ। बीती रात मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में सोया था। लगभग 11 या 12 बजे रात को कुछ अज्ञात लोग चोरी के इरादे से घर में घुस आये। खटर–

पटर की आवाज सुनने पर मैं व मेरा लड़का सत्तार उठ गये तो देखा कि चोर हमारे मकान से चोरी करके निकल रहे थे हमने टोका। तब पकड़ने की नीयत से उनके पीछे दौड़े, उनमें से एक चोर ने मेरे लड़के सत्तार के फायर मार दिया जिससे मेरे लड़के के दाहिने हाथ व कन्धे पर छर्रे लगे हैं। समान की पूरी लिस्ट जो चोरी हुआ है, जो सामान चोरी हुआ है उसकी पूरा घर जाकर सामान देखकर लिस्ट दूंगा।

3– उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण **मौहब्बत अली, मुजम्मिल, अफजाल एवं महताब अली** के विरूद्ध धारा 382,411 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत मु०अ०सं०– 275/2003 पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई। मुकदमा थाना हसनपुर, जिला अमरोहा पर दिनांक 01.04.2003 को पंजीकृत हुआ तथा सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर **अभियुक्तगण मौहब्बत अली, मुजम्मिल, अफजाल एवं महताब अली** के विरूद्ध **धारा– 382,411 भा०दं०सं०** के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए **आरोप पत्र** विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2003 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्तगण मौहब्बत अली, मुजम्मिल, अफजाल एवं महताब अली न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की वांछित प्रतिलिपियां अन्तर्गत धारा 207 दं०प्रं०सं० प्रदान की गयीं तथा अभियुक्तगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी–अपनी जमानत करायी। अभियुक्तगण **मौहब्बत अली, मुजम्मिल, अफजाल एवं महताब अली** के विरूद्ध धारा– 382,411 भा०दं०सं० के अंतर्गत **दिनांक 01.08.2018 को आरोप** विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत हुई।

5– दौरान–ए–वाद अभियुक्तगण मुजम्मिल की मृत्यु हो गयी। उक्त अभियुक्तगण की मृत्यु होने के कारण उक्त वाद की **समस्त कार्यवाही अभियुक्तगण मुजम्मिल** के विरूद्ध न्यायालय के आदेश **दिनांकित 20.11.2024 से उपशमित** की गयी।

6– तत्पश्चात अभियोजन की ओर से **पी०डब्ल्यू०–1** के रूप में **सत्तार** एवं **पी०डब्ल्यू०–2** के रूप में **छुटटन** को परीक्षित कराया गया है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पत्रावली वर्ष 2003 से सम्बन्धित है तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशानुसार एक्शन प्लान के अंतर्गत त्वरित निस्तारित की जानी है। उक्त पत्रावली पर पर दिनांक 01.08.2018 को आरोप विरचित किया गया था। जिसके बाद उक्त पत्रावली अभियोजन साक्ष्य के लिए नियत की गयी थी। इन विगत वर्षों में न्यायालय द्वारा बार–बार अभियोजन साक्षीगण पर विभिन्न प्रकार की आदेशिकाएँ जारी की गयी व अभियोजन को पर्याप्त अवसर वास्ते साक्ष्य प्रदान किया गया। उक्त आदेशिकाओं पर पर साक्षीगण नन्हे, गनी, कलुवा व रसीद की मृत्यु आख्याएँ प्राप्त हुई। जिसके बाद उन्हें साक्ष्य

से उन्मोचित किया गया। पत्रावली पर पी०डब्ल्यू०–1 सत्तार व पी०डब्ल्यू०–2 छुट्टन को परीक्षित कराया गया है। जिसके बाद अभियोजन को कई बार साक्ष्य हेतु अवसर प्रदान किया गया। विद्वान सहायक अधिकारी द्वारा कोई भी प्रयास उक्त पत्रावली पर नहीं किये गये हैं और ना ही कोई सम्भावना नजर आती है। न्यायालय द्वारा भेजे गये गैर जमानतीय वारण्ट पर पुलिस द्वारा लगातार यह आख्या आती है कि समय अभाव के कारण तामीला नहीं हो सका है। न्यायालय द्वारा बार–बार साक्षीगण को आदेशिकाएँ जारी की गयी हैं। अन्ततः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन को अनन्त समय वास्ते साक्ष्य दिया जाना अभियुक्तगण के साथ अन्याय है। अतः उक्त तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन का साक्ष्य का अवसर दिनांक 18.04.2026 को समाप्त किया जाता है। पत्रावली अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्रं०सं० हेतु नियत की गयी।

7– अभियुक्तगण मौहब्बत अली, अफजाल एवं महताब अली का बयान धारा– 313 दं०प्रं०सं० के अन्तर्गत **दिनांक 07.05.2026** को अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा आरोप एवं घटना से इन्कार करते हुए मुकदमा को गलत होने, झूठा एवं रंजिशन चलाये जाने का कथन किया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गयी।

8– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

9– अभियुक्तगण मौहब्बत अली, अफजाल एवं महताब अली के विरूद्ध *आरोप अंतर्गत धारा 382, 411 भारतीय दण्ड संहिता* के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं सन्देह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है।

<u>धारा – 382 भारतीय दण्ड संहिता</u>

10. धारा – 382 भारतीय दण्ड संहिता– *चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या अवरोध कारित करने की तैयारी के बाद चोरी –* *जो कोई चोरी करने के लिए, या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए, या चोरी द्वारा ली गई सम्पत्ति के रखने के लिए, किसी व्यक्ति कि मृत्यु या उसे चोट या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, चोट का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*

<u>धारा – 411 भारतीय दण्ड संहिता</u>

11. धारा– 411 भारतीय दण्ड संहिता– *चुराई गई सम्पत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना –* *जो कोई किसी चुराई हुई सम्पत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह*

चुराई हुई सम्पत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

12. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

13– साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 सत्तार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सथपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 30.03.2003 की है। रात के 11–12 बजे की है। मैं अपने घर में सोया हुआ था। तभी चोरों ने जिनमें मुजम्मिल पुत्र फिरासत, अफजल पुत्र फिरासत, मौहब्बत पुत्र नामालूम व महताब पुत्र फिरासत जो मेरे गांव के हैं, मेरे घर में घुस आये। जब उन्होंने घर में किबाड़ तोड़ों तो हमारी आँख खुल गयी। तो देखा कि यह लोग लूट खसोट कर रहे थे। घर में रखे जेबर और लगभग 50,000/–रु० लूट लिये जब वह लूट कर चले तो हमने उनका पीछा किया तो मेरे पिता और मैंने पीछा किया तो अफजल ने मेरे ऊपर फायर कर दिया जो मेरे दांये हाथ की हथेली से कन्धे तक लगे। मेरे पिता जी नन्हें मुझे उठाकर घर ले आये। मैंने अपनी चोटों का मुआयना सरकारी अस्पताल अमरोहा में कराया था। उक्त घटना की तहरीर मेरे पिता जी नन्हें थाना हसनपुर में दिया था। जिसमें जो जेबर लूटे गये उनकी लिस्ट शामिल की थी। जिसमें लगभग तीन तोले सोना और लगभग 600 ग्राम चाँदी के जेवर थे। जेवर और पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला है। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। रुपये और जेवर की फर्द बरामदगी पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे निशानी अंगूठा को देखकर पहचान कर गवाह ने बताया यह वही फर्द बरामदगी है जिस पर मैंने निशानी अंगूठा लगाया था। पहचानता हूँ, साबित करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

14– बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–1 सत्तार ने कथन किया है कि अभियुक्तगण मुजम्मिल मेरे गांव का था। अभियुक्तगण मुजम्मिल की मृत्यु हो चुकी है। मुझे ध्यान नहीं कि मैं अभियुक्तगण मुजम्मिल के दफीने में मैं शामिल हुआ था या नहीं। इस मुकदमें की एफ.आई.आर. मैंने लिखायी थी। मुझे ध्यान नहीं कि तहरीर मैंने खुद लिखी थी या किसी और से लिखायी थी। मैंने घटना के हाथो हाथ ही एफ.आई.आर. लिखायी थी। मैं सांय के लगभग चार बजे थाने गया था। जिस दिन मैंने रिपोर्ट लिखायी थी उस दिन क्या तारीख थी मुझे ध्यान नहीं। मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। मैं हस्ताक्षर कर लेता हूँ। घटनास्थल से थाने की दूरी लगभग 13 किमी० है। जिस दिन मैंने थाने पर रिपोर्ट लिखायी थी उस दिन का मुझे पता नहीं है। तहरीर में क्या लिखा है मुझे पता नहीं। तहरीर मैंने खुद लिखायी है। तहरीर मैंने पढ़ी नहीं थी बोलकर लिखायी थी। लिखने वाले ने तहरीर पढ़कर सुनायी थी। तहरीर मैंने इरफान से लिखवायी थी। इरफान मेरे भाई का साला है। इरफान पुलिस में है। थाने में इस मुकदमे की एफ.आई.आर. मेरे पिता ने लिखवाई थी।

किस–किसके खिलाफ लिखवाई थी मुझे नहीं पता है। एफ.आई.आर. के सन्दर्भ में आज जो कह रहा हूँ वह सही है। दिनांक 13.06.2024 को मैंने यह बयान दिया था कि थाने में एफ.आई.आर. मैंने लिखवाई थी वह गलत है। घटना के समय मैंने मुल्जिमों को देखा था और उनको पहचाना था। घटना के दिन मैं अपने घर में सो रहा था। मेरे साथ मेरे पिताजी भी सोये हुये थे। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था क्या लिखा था मुझे नहीं याद है। दरोगा जी ने मेरा बयान घर पर लिया था। दरोगा जी को अपने बयान में मुल्जिमानों का नाम बताया था या नहीं। इस समय मुझे ध्यान नहीं है। मैं मुल्जिमान मुकम्मिल, मुजम्मिल, अफजल व मौहब्बत अली को गांव के होने के नाते मैं इन लोगों को जानता हूँ। मैंने रिपोर्ट दर्ज होने के पहले घटना के मुल्जिमानों के बारे नाम बताया था। मेरा जो सामान चोरी हुआ था वह मुझे मिला नहीं। माल बरामद हुआ था या नहीं मुझे नहीं पता है।

15– अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–1 सत्तार ने कथन किया – गवाह को धारा 161 सीआर०पी०सी० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि यह वही बयान है जो मैंने दरोगा जी को दिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान घटना के 08 या 10 घन्टे के बाद ही लिया था। मैंने दरोगा जी को मुल्जिमानों का नाम बताया था। उन्होने लिखा या नहीं मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। मैं घटना के 14 या 15 घन्टे बाद डॉक्टरी मुआयना कराने अस्पताल आया था। मैंने चोरी हुए सामानों का लिस्ट नहीं दिया था। मेरे पिताजी ने दिया था। लिस्ट में तीन तोले सोना और चाँदी 600 ग्राम के बारे लिखा गया था। इसके अलावा पचास हजार रुपये गये थे और चोरी के सामानों के बारे में मुझे नहीं पता है। घटना किस तारीख की है। मुझे नहीं पता है। मैं गोली लगने से बेहोश नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने मेरे घर चोरी व घटना कारित न की हो। यह कहना गलत है कि घटना घटित न हुयी हो और मैंने रंजिशन मुल्जिमानों पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा किया है।

16– साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 छुटटन ने अपनी मुख्य परीक्षा में सथपथ कथन किया है कि दिनांक 07.05.2003 को पुलिस द्वारा मुनादी करायी गयी थी जो अफजल के बारे में थी। मैंने अंगूठा लगाया था। पुलिस वाले ने क्या लिखा था मुझे पढ़कर बताया नहीं था। वारण्ट 82 सीआर०पी०सी० के निष्पादन सम्बन्धित आख्या पत्रावली पर मौजूद है। उस पर गवाहों के अंगूठा निशानी है। जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। पुलिस ने मेरा कोई बयान लिया था या नहीं मुझे मालूम नहीं।

17– अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–2 छुटटन ने कथन किया – इस मुकदमे की घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना सही है कि मैंने घटना होते हुए नहीं देखी और ना ही घटना के बारे में जानता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से हमसाज होकर गलत बयान दे रहा हूँ।

निष्कर्ष

18– अभियोजन साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि धारा 382,411 भा०दं०सं० के अंतर्गत लगाये गये आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा केवल 02 गवाह के बयान हीं पत्रावली पर प्रस्तुत किए गये हैं अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 सत्तार, जोकि वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता का पुत्र है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है परन्तु जब बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री सतेन्द्र पाल द्वारा जिरह की गयी तो साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 ने कथन किया कि *" दरोगा जी को अपने बयान में मुल्जिमानों का नाम बताया था या नहीं। इस समय मुझे ध्यान नहीं है। मैं मुल्जिमान मुकम्मिल, मुजम्मिल, अफजल व मौहब्बत अली को गांव के होने के नाते मैं इन लोगों को जानता हूँ। "* यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है कि शिकायतकर्ता/वादी की मृत्यु दौरान वाद हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा एक अन्य साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 छुटटन है जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि " *घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। यह कहना सही है कि मैंने घटना होते हुए नहीं देखी और ना ही घटना के बारे में जानता हूँ। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से हमसाज होकर गलत बयान दे रहा हूँ।* " इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिससे घटना को प्रथम दृष्टया बल मिल सके। उपर्युक्त साक्षीगण के बयानों से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 382/411 भा०दं०सं० से संबंधित किसी भी धारा के अपराध का होना प्रथमदृष्टया साबित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा पत्रावली पर एफ.आई.आर., चार्जशीट, तहरीर तथा केस डायरी उपलब्ध करायी गयी है, जो स्वभावतः सहायक सामग्री है तथा स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को पूरा मामला इसी 02 गवाहान की मौखिक गवाही पर आधारित है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन गवाहान के बयान आपस में सुसंगत, स्वाभाविक, विश्वास योग्य एवं घटना के सम्बन्ध में निरन्तर एवं सुसंगत हों तथा उनमें कोई भी ऐसा विरोधाभास या असंगति न हो जो अभियोजन के मामले की जड़ पर आघात पहुँचाये।

19– अभियोजन साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण के उपर्युक्त बयानों के विरोधाभास के आधार पर प्रथमदृष्टया ऐसा माना जा सकता है कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। उपर्युक्त साक्षीगण एवं अभियोजन कथानक में गम्भीर विरोधाभास एवं असंगति विदयमान है। उपर्युक्त विरोधाभासों के होते हुए अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करना न्यायसंगत नहीं है तथा ये साक्ष्य अकेले प्रकरण को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असमर्थ है। अतः अभियोजन साक्षीगण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित

प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

20– **अभियुक्तगण मौहब्बत अली, अफजाल एवं महताब अली** को **मुकदमा संख्या– 408/2003, मुकदमा अपराध संख्या– 275/2003 अन्तर्गत धारा– 382,411 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण **मौहब्बत अली, अफजाल एवं महताब अली जमानत** पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनानों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण द्वारा धारा **437–A दं०प्र०सं० का अनुपालन** किया जा चुका है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 18.05.2026

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर,
अमरोहा।
J.O. Code–UP4602

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होने के उपरान्त उदघोषित किया गया।

दिनांक– 18.05.2026

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर
अमरोहा।
J.O. Code–UP4602